

हरियाणा विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

समिति की बैठक वीरवार, 19 फरवरी, 2026 को 3.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई। उसमें निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1. श्री हरविन्द्र कल्याण, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2. श्री नायब सिंह, मुख्य मंत्री	सदस्य
3. श्री महिपाल ढांडा, संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
4. श्री कृष्ण कुमार, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अन्तोदया (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) मंत्री	सदस्य
5. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष	सदस्य
6. श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.	सदस्य
7. डॉ० कृष्ण लाल मिढ़ा, उपाध्यक्ष	विशेष आमंत्रित
8. श्रीमती सावित्री जिंदल, एम.एल.ए.	विशेष आमंत्रित
9. श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.	विशेष आमंत्रित

समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 05.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि सोमवार, 23 फरवरी, 2026, वीरवार, 05 मार्च, 2026, सोमवार, 09 मार्च, 2026 तथा सोमवार, 16 मार्च, 2026 को विधान सभा की बैठक 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् आरम्भ होगी तथा 06.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि मंगलवार, 24 फरवरी, 2026 से शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026, सोमवार, 02 मार्च, 2026, शुक्रवार, 06 मार्च, 2026, मंगलवार, 17 मार्च, 2026 तथा बुधवार, 18 मार्च, 2026 को विधान सभा की बैठक 11.00 बजे प्रातः आरम्भ होगी तथा 05.00 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026, सोमवार, 23 फरवरी, 2026 से शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026, सोमवार, 02 मार्च, 2026, वीरवार, 05 मार्च, 2026, शुक्रवार, 06 मार्च, 2026, सोमवार, 09 मार्च, 2026, सोमवार, 16 मार्च, 2026 से बुधवार, 18 मार्च, 2026 को को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा:-

शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	राज्यपाल महोदय का अभिभाषण
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।	1. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 2. शोक प्रस्ताव।

	<ol style="list-style-type: none"> 3. मननीय अध्यक्ष तथा सचिव महोदय द्वारा घोषणा। 4. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 5. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र। 6. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
शनिवार, 21 फरवरी, 2026	छुट्टी।
रविवार, 22 फरवरी, 2026	छुट्टी।
सोमवार, 23 फरवरी, 2026 (02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा। 4. विधान कार्य।
मंगलवार, 24 फरवरी, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ।
बुधवार, 25 फरवरी, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ। 4. विधान कार्य।
वीरवार, 26 फरवरी, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ। 4. अनुपूरक अनुमान के संबंध में प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 5. वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 6. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव के संबंध में 4 निर्वाचित समितियों के नामांकन। 7. गैर-सरकारी सदस्य का कार्य, यदि कोई हो (अंतिम 2 घंटे)।
शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल।

	<p>3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ, मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।</p> <p>4. वर्ष 2025–2026 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) के लिए विनियोग विधेयक।</p>
शनिवार, 28 फरवरी, 2026	छुट्टी।
रविवार, 1 मार्च, 2026	छुट्टी।
सोमवार, 2 मार्च, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	वर्ष 2026–2027 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
मंगलवार, 3 मार्च, 2026	बैठक नहीं होगी
बुधवार, 4 मार्च, 2026	छुट्टी
वीरवार, 5 मार्च, 2026 (02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2026–2027 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा। 3. हरियाणा विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. गैर–सरकारी सदस्य का कार्य, यदि कोई हो (अंतिम 2 घंटे)।
शुक्रवार, 6 मार्च, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. वर्ष 2026–2027 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ। 4. विधान कार्य।
शनिवार, 7 मार्च, 2026	छुट्टी
रविवार, 8 मार्च, 2026	छुट्टी
सोमवार, 9 मार्च, 2026 (02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात्)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. शून्य काल। 3. वर्ष 2026–2027 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ। 4. विधान कार्य।
मंगलवार, 10 मार्च, 2026	बजट अनुमानों के संबंध में विभागीय स्थायी समितियों की बैठकें।
बुधवार, 11 मार्च, 2026	–यथोक्त–
वीरवार, 12 मार्च, 2026	–यथोक्त–

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026	—यथोक्त—
शनिवार, 14 मार्च, 2026	छुट्टी /—यथोक्त—
रविवार, 15 मार्च, 2026	छुट्टी /—यथोक्त—
सोमवार, 16 मार्च, 2026 (02.00 बजे मध्याह्न—पश्चात्)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. बजट पर स्थायी समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 3. वर्ष 2026—2027 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ।
मंगलवार, 17 मार्च, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. वित्त मंत्री द्वारा उत्तर। 3. वर्ष 2026—2027 के लिए बजट अनुमानों पर चर्चा तथा मतदान। 4. हरियाणा विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 5. वर्ष 2026—2027 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक।
बुधवार, 18 मार्च, 2026 (11.00 बजे प्रातः)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्न काल। 2. निरन्तर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव। 3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव। 4. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाले कागज—पत्र। 5. हरियाणा विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 6. विधान कार्य। 7. कोई अन्य कार्य।

चण्डीगढ़:
दिनांक 19 फरवरी, 2026.

हरविन्द्र कल्याण,
अध्यक्ष।

चण्डीगढ़:
दिनांक 19 फरवरी, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।